

INDIA NON JUDICIAL

Signature. ACC Name - SUBHASH CHANORA ACC Code-UP14337504 Add. Alapur, Ambedkar Nagar Lic.No.-13, Mob.No. 8808420937

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date Account Reference Unique Doc. Reference Purchased by Description of Document Property Description Consideration Price (Rs.) First Party Second Party

Stamp Duty Paid By

ARI

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP66133460546254U 11-Aug-2022 02:51 PM

- NEWIMPACC (SV)/ up14337504/ ALAPUR/ UP-AMB
- SUBIN-UPUP1433750424508080147524U
- SINGARI DEVI MEMORIAL EDUCATIONAL SOCIETY
- Article 4 Affidavit
- Not Applicable

SINGARI DEVI MEMORIAL EDUCATIONAL SOCIETY Not Applicable

SINGARI DEVI MEMORIAL EDUCATIONAL SOCIETY 10

CANCELIER

NOTARIAL

NOTARIAL

(Ten only)

Please write or type below this line (प्राक्तप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानओं की सोसइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव होरी प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का पारूप

- हम बनवारी लाल एवं रामधारी यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव सिंगारी देवी मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी पता- ग्रॉम व योस्ट- रामनगर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है-
 - -1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा बी० एम० मेमोरियल डिग्री कॉलेज पता- ककरहीं किशुनपुर अम्बेडकरनगर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
 - यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सिंगारी देवी मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी पता- ग्राम व पोस्ट- रामनगर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर में गाटा संख्या 21मि एवं कुल रकबा 1.0120 हेक्टेयर भूमि है।

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stantp certificate strikulii be writted at 'www strokestangs com' or uping -> Ngang Motive Auto of Motion Any discrepancy in the details on this. Certificate and as available on the workster / Motion App resistant it invanit. The onus of cerecking the segmency is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform this Competent Authority

- यह कि.उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
- 4. यह कि.उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 21 मि रकबा 1.0120 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15.10.2020 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि.उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
- यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफें इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अर्न्तगत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
- 8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 9. यह कि,उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफें इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद,उ०प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
- 10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
- 11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाप की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
- 12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का मलीमांति पालन करूगां। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13 में घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सूच्याहैय यदि दी गयी जानकारी एवं अमिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते सूच्या हैया तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी जन्मती दी देखिक कार्यवाही हेतु में स्वय उत्तरदायी होऊँगा।

addi a conce

ह० अध्यक्ष

ह0 सचिव